


दिनांक	आज्ञा पत्र	
11-9-24	<p>पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 20/8/24 को पेश हो।</p>	
<p>25-9-24</p> <p>45119</p> 	<p>अपील नोट 3- डि फेंस 10/11/24 27-451 के/1/20/24 को पेश</p> <p>पेश। वकील अपीलाट ने उपास्थल होकर जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलाट से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत हैं। फलस्वरूप अपील अपीलाट नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रत्येक फसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतों तकमील दाखिल दफन हो।</p> <p>भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प इन्डियन)</p>	